

Central Pollution Control Board  
(Ministry of Environment, Forest & Climate Change)  
(Government of India)  
'Parivesh Bhawar,' East Arjun Nagar,  
Shahdara, Delhi-32

F. No. B-19100/PIAS (Main)/WQM-II 523

Dated: 04.09.2018

**ORDER**

On the basis of selection and consequent upon the acceptance of offer of appointments and acceptance of terms and conditions, the following Senior Research Fellow are appointed in WQM-II Division under PIAS project on River Ganga under Namami Gange Programme in Central Pollution Control Board: -

S.No.	Candidate Name	Post held	Place of Posting	Date of Joining w.e.f.	Period up to
1	Sh. Bishnu Prasad Sahoo	Senior Research Fellow	RD, Kolkata	30.07.2018 (FN)	31.03.2019
2	Sh. Vijay Kumar Pal	Senior Research Fellow	RD, Lucknow	17.07.2018 (FN)	31.03.2019

2. They will be paid monthly stipend of Rs. 28000/- with effect from Date of Joining.
3. They will be entitled for HRA as per DST rules. For this purpose, the stipend admissible to them will be treated as the basic pay.
4. They will not be entitled to DA, Bonus & LTC.
5. They will not be eligible to be a member of the Contributory Provident Fund.
6. The appointment is provisional and will not entitle him/her to claim absorption in the Central Pollution Control Board in any post/cadre.
7. This appointment is provisional, temporary and all other terms and conditions remains the same as contained in the offer of appointment letter dated 05.07.2018.
8. They are entitled to avail 08 days casual leave in a calendar year. The female candidate SRF is entitled for Maternity Leave as per rules.
9. They will be entitled to TA/DA claims as per Central Pollution Control Board rules.
10. Private work of any kind whatsoever is prohibited during the period of employment in the Central Pollution Control Board.
11. This appointment shall automatically stand cancelled w.e.f. 31.03.2019 (A.N) without any further notice, however the Competent Authority, Central Pollution Control Board may extend as per requirement.
12. The fellowship can be terminated with one month notice in writing on either side without assigning any reasons thereof. Further in case of short notice period a sum of equivalent to salary shall be paid by the concerned SRF or Central Pollution Control Board who gives such short notice.

13. The decision of the Member Secretary, Central Pollution Control Board will be final in all matters relating to their appointment.
14. This issues with the approval of the Competent Authority, Central Board.



(Jugesh Kumar)  
Sr. Administrative Officer

**Distribution: -**

1. Individual concerned.
2. Accounts Officer-II : With a request that salary may be debited from PIAS project on River Ganga under Namami Gange Programme
3. Incharge, WQM-II
4. Regional Directorate, Lucknow
5. Regional Directorate, Kolkata
6. Personal file of individual concerned.
7. Incharge, IT Division : For uploading on website of CPCB
8. Reception
9. PS to MS : For information to MS please.
10. Office Order File
11. AO(P)'s Master File

# केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,

शाहदरा, दिल्ली-110032

सं.बी-19100/पीआईएस/(मेन)/डब्ल्यूक्यूएम-॥ 523

दिनांक: 04.09.2018

## आदेश


चयन के आधार पर और नियुक्ति प्रस्ताव में उल्लेखित नियम एवं शर्तों की स्वीकृति के फलस्वरूप, निम्नलिखित को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी की 'पीआईएस' परियोजना के अंतर्गत वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता के पद पर नियुक्त किया जाता है:

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पदनाम	तैनाती का स्थान	कार्यारंभ की तिथि (से प्रभावी)	तक अवधि
1.	श्री बिष्णु प्रसाद साहू	वरि.अनुसंधान अध्येता	क्षे.निदेशालय, कोलकाता	30.07.2018 (पूर्वाहन)	31.03.2019
2.	श्री विजय कुमार पाल	वरि.अनुसंधान अध्येता	क्षे.निदेशालय, लखनऊ	17.07.2018 (पूर्वाहन)	31.03.2019

02. उन्हें कार्यग्रहण करने की तिथि से 28000/-रु. प्रतिमाह वृत्तिका का भुगतान किया जाएगा।
03. वे डीएसटी नियमानुसार मकान किराया भत्ता के पात्र होंगे। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ग्राह्य वृत्तिका को मूल वेतन माना जाएगा।
04. वे महंगाई भत्ता, बोनस और अवकाश यात्रा रियायत के पात्र नहीं होंगे।
05. वे अंशदायी भविष्य निधि के सदस्य बनने के पात्र नहीं होंगे।
06. उनकी नियुक्ति अनंतिम है और वे केन्द्रीय बोर्ड में किसी भी पद/संवर्ग में आमेलन का दावा करने के पात्र नहीं होंगे।
07. यह नियुक्ति अनंतिम, अस्थायी और अन्य सभी शर्तें समान रहेंगी जो दिनांक 05.07.2018 के नियुक्ति प्रस्ताव पत्र में उल्लिखित है।
08. वे कलेंडर वर्ष में 08 आकस्मिक अवकाश के पात्र होंगे। महिला वर्ग के वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता अभ्यर्थी मातृत्व अवकाश लेने के पात्र होंगे।

क्रमशः.....

09. वे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमानुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे।
10. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में नियुक्ति की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का निजी कार्य करना वर्जित होगा।
11. यह नियुक्ति बिना अन्य किसी नोटिस दिए दिनांक 31.03.2019 (अपराहन) को स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी हालांकि इसे सक्षम प्राधिकारी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आवश्यकतानुसार बढ़ा सकते हैं।
12. यह अध्येतावृत्ति किसी भी समय कोई भी कारण बताए दोनों ओर से एक माह के लिखित नोटिस देने पर समाप्त की जा सकती है। इसके अलावा, अल्पावधि नोटिस के मामले में, संबंधित एस.आर.एफ. या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उस अवधि के वेतन के समतुल्य राशि का भुगतान करना होगा।
13. उनकी नियुक्ति से संबंधित सभी मामलों में सदस्य सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।
14. यह सक्षम प्राधिकारी, केन्द्रीय बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

  
(जुगेश कुमार)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

**वितरण:**

1. संबंधित कर्मचारी
2. लेखा अधिकारी-॥ : कृपया वेतन का भुगतान नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी की 'पीआईएस' परियोजना के अंतर्गत किया जाए।
3. प्रभारी, डब्ल्यूएम-॥
4. क्षेत्रीय निदेशालय, लखनऊ
5. क्षेत्रीय निदेशालय, कोलकाता
6. संबंधित कर्मचारियों की वैयक्तिक फाइल
7. प्रभारी, आई.टी. प्रभाग : कृपया इसे केन्द्रीय बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. स्वागत कक्ष
9. सदस्य सचिव के निजी सचिव : सूचनार्थ
10. प्रशासनिक अधिकारी (का.) की मास्टर फाइल
11. कार्यालय आदेश फाइल